

दिनांक हुकम

22-1-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 23-1-18 को पेश हो

23-2-18

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 19-2-18 को पेश हो

19⁰⁴/₁₈

पत्रावली रखा गया जो अदालत अभियान
न्याय आदेश 2018 में रखे जाने
योग्य पक्षी जो अदालत स्थल अदालत
सेवा केन्द्र (अप्रु) दि. 20/1/18 में पेश हो

04⁰⁹/₁₈

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25/10/18 को पेश हो

29¹⁰/₁₈

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 25/07/19 को पेश हो

25⁰¹/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 08/04/19 को पेश हो

09⁰⁴/₁₉

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय सप.
अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी
दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 16/07/19 को पेश हो

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नया
अनु
हुकम
में

16⁰⁷/₁₉

वकील जयसिंग उप०। अजायगी सं० 3, 4, 7 व 13 की तामील सम्मेलन रूप से होकर लॉटी है। बावजूद सम्मेलन तामील उक्त अजायगी सं० 3, 4, 7 व 13 की ओर से कोई दायित अदालत नहीं आया अतः अजायगी सं० 3, 4, 7 व 13 के विरुद्ध एक फीच कार्यवाही अमल में लई जाती है। अजायगी सं० 8 ता 12 की तामील सम्मेलन रूप से होकर नहीं लॉटी है। बाले पेश होने तक ही अजायगी सं० 8 ता 12 हेतु मिसल दिनांक 27/08/19 को पेश हो। P. O. साहब डब्यु कार्य में व्यस्त।

27⁰⁸/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 10/11/19 को पेश हो।

14¹⁰/₁₉

पत्रावली पेश हुई। वकूलाग उप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौरे पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आइन्दा दिनांक 23/12/19 को पेश हो।

23¹²/₁₉

पत्रावली पेश हुई। प्रमाण में कई बार आवार्तें लगायी ता उम्मी है बावजूद आवार्तें लगाये ^{वकील} जयसिंग अथवा पक्षमान में से कोई दायित अदालत नहीं आया। अतः कार्यवाही प्रमाण अदत दायिरी एवं अदत पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केमल शुभा दोन नम्बर से मत हो तथा बाद तामील तामील दायित हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



23/12/19
सहायिक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) सं. 1